राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/2019/ 12781 दिनांकः 24/9/25

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती हैः–

क्र.स.	कर का नाम	
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत्–प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2024–2025 तक के नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत–प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011–12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट।

उपरोक्त छूट तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी एवं पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा जमा राशि पुनः नहीं लौटाई जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(38)नियम/डीएलबी/2019/ 12782-13497 दिनांकः 24/9/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय ।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करावें।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी